कार्यालय : राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

क्रमांकःस्था0 / 2018 /

दिनांक : 30.01.2018

-: विस्तृत विज्ञप्ति :-

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती-2018

कार्यालय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार रुपये 12,400/- (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) की सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। (दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमानुसार पे लेवल एल-1 में रुपये 17,700/- पर वेतन नियतन (fixation) किया जावेगा)

क0 स0	कार्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	रा0रा0वि0से0प्रा0,जयपुर	2
2	रा0उ0न्या0वि0से0स0,जोधपुर	4
3	रा0उ0न्या0वि0से0स0,जयपुर	4
4	पूर्णकालिक अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, अजमेर	2
5	पूर्णकालिक अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, भरतपुर	2
6	पूर्णकालिक अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, बीकानेर	2
7	पूर्णकालिक अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, जयपुर महानगर	2
8	पूर्णकालिक अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, जोधपुर महानगर	2
9	पूर्णकालिक अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, कोटा	2
10	पूर्णकालिक अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत, उदयपुर	2
	कुल रिक्त पदों की संख्या	**24**

कुल रिक्तियों की प्रवर्गवार संख्या

कुल पद	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडा वर्ग	अति0 पिछडा वर्ग	क्षैतिजीय आरक्षण	रिक्त पदों की संख्या
						1. निःशक्तजन	0
						2. भूतपूर्व सैनिक	3
24	14 (2)*	3 (1)*	2 (1)*	5 (3)*	0		

*कोष्ठक में दर्शित पद महिलाओं हेतु क्षैतिज रुप से आरक्षित है।

नोटः— 1. महिलाओं को आरक्षण नियमानुसार क्षैतिज रुप से देय होगा परन्तु चयन/नियुक्ति हेतु कोई योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त पद उसी श्रेणी विशेष के योग्य पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकेंगे।

2. निःशक्तजन (विशेष योग्यजन) व भूतपूर्व सैनिक को आरक्षण नियमानुसार क्षैतिज रुप से देय होगा।

3. राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन संख्या No.f.7(1)DoP/A-II/2017 दिंनाक 21.12.2017 द्वारा राजस्थान राज्य के अति पिछडा वर्ग श्रेणी को एक प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण प्रदान किया है, अतः अति पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी अपनी श्रेणी अंकित करते समय अन्य पिछडा वर्ग के साथ–साथ अति पिछडा वर्ग भी अंकित करें।

4. चयन/नियुक्ति हेतु कोई योग्य निःशक्त अभ्यर्थी, भू.पू. सैनिक एवं अनु.जाति/अनु. जनजाति/अ.पि. वर्ग/अति.पि.व. के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्त पद नियमानुसार विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरे जायेंगे।

5. सामान्य वर्ग के पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।

6. रिक्तियों की संख्या में किसी भी समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, इस हेतु पुनः विज्ञप्ति/संशोधित–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

7. राजस्थान राज्य के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रुप में संव्यवहारित किया जायेगा।

1. <u>आयु</u>–

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2019 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी। महिलाओं, निःशक्तजनों, आरक्षित वर्गों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट निम्नानुसार प्रदान की जायेगीः–

1. एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/एम0बी0सी0 (पुरूष) – 5 वर्ष।
2. सामान्य महिला– 5 वर्ष।
3. एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/एम0बी0सी0 (महिला)– 10 वर्ष।
4. निःशक्तजनः– सामान्य वर्ग–10 वर्ष, ओ0बी0सी0/एम0बी0सी0–13 वर्ष एवं एस0सी0/एस0टी0–15 वर्ष।
5. विधवा व विवाह विच्छिन्न महिलाओं हेतु कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी।

राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक व अन्य विहित वर्गों की आयु के छूट हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 1999 के नियम 13 के परन्तुक (यथा संशोधित) के अनुसार अनुपालना कर ऊपरी आयु में छूट प्रदान की जायेगी।

नोट– अभ्यर्थियों को विगत वर्षों में भर्ती नहीं होने के आधार पर ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार 03 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

2. **शैक्षणिक योग्यता--**

अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए।

3. **शारीरिक योग्यता--**

अभ्यर्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

4. **चरित्र–**

आवेदक को अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो आवेदक के रिश्तेदार न हों एवं 6 माह से अधिक पुराने नहीं हो, भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

5. **राष्ट्रीयता–**

अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या पूर्वोक्त वर्णित नियम, 1999 के नियम 11 के अनुसार अर्हता प्राप्त हो।

6. **नियुक्ति के लिए निरर्हता–**

(अ) कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसकी दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् 02 से अधिक सन्तानें हों ;

–परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाला आवेदक तब तक नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा जब तक उक्त सन्तानों की संख्या में जो कि 01.06.2002 को है, में वृद्धि नहीं होती है।

–परन्तु यदि किसी आवेदक के पूर्व प्रसव से एक ही सन्तान है परन्तु बाद वाले एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तान पैदा हुई है वहां सन्तानों की कुल संख्या को गिनते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जाएगा।

–परन्तु पूर्वोक्त सन्तानों की संगणना में ऐसी सन्तान को नहीं गिना जाएगा जो कि पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त व्यक्ति से सम्बन्धित विधियों में वर्णित निःशक्तता से ग्रस्त हो।

–परन्तु आवेदक का ऐसा पुर्नविवाह जो विधि द्वारा वर्जित नहीं है व ऐसे पुर्नविवाह से पूर्व वह नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हो तो उसे अयोग्य नहीं समझा जाएगा यदि ऐसे पुर्नविवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी सन्तान का जन्म हुआ हो।

(ब) कोई भी पुरुष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे दे।

(स) कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज (सम्बन्धित विधि में यथा परिभाषित) स्वीकार किया हो।

7. विवाहित स्त्री/पुरुष आवेदन पत्र में अपने पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करें तथा जिन अभ्यर्थियों का विवाह दिनांक 22.05.2006 या इसके पश्चात् हुआ है, उन्हें विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र, तथा दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाहित अथवा अविवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है, एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है, व लम्बित होने या दोषसिद्ध किया हुआ होने की स्थिति में उसे सम्पूर्ण विवरण शपथ–पत्र में प्रस्तुत करना होगा।

9. आवेदन–पत्र–

अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में सादा कागज पर सुस्पष्ट लेखनी से लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, माता एवं पिता का नाम, विवाहित/अविवाहित, पति/पत्नी का नाम, लिंग, जाति, राष्ट्रीयता, प्रवर्ग (श्रेणी), गृह जिला, राज्य, स्थाई पता, वर्तमान पत्राचार का पता, निकटस्थ पुलिस थाना, शैक्षणिक योग्यता, जन्म–तिथि (अंको व शब्दों में) ई–मेल एड्रेस, मोबाईल नम्बर (यदि हो तो), आधार नम्बर (यदि हो तो), तथा वर्तमान नियुक्ति (यदि कोई हो तो) का पद, सेवा की अवधि व पदनाम नियोजन का पंजीयन क्रमांक व वैधता की अवधि (यदि हो तो) अंकित करनी होगी। आवेदन–पत्र पर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का हस्ताक्षरित व स्वयं सत्यापित रंगीन फोटोग्राफ, चस्पा किया जावे। आवेदन–पत्र के अंत में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में किसी राजकीय सेवा में सेवारत है तो उसे आवेदन–पत्र में उल्लेख करना होगा एवं आवेदन–पत्र अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से या विभागाध्यक्ष की लिखित अनापत्ति सहित प्रस्तुत करना होगा।

नोट– आवेदन–पत्र का प्रारूप विस्तृत विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।

10. आवेदन शुल्क–

सामान्य	अ0पि0व0/अति0पि0व0	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
100/–रुपये	100/–रुपये	60/–रुपये	60/–रुपये

उक्त आवेदन शुल्क राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, देय जयपुर के पक्ष में जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट देय होगा।

11. आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि–

आवेदन–पत्र दिनांक 23.02.2018 (शुक्रवार) सायं 5.00 बजे तक इस कार्यालय में व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा प्राप्त हो जाने चाहिए। उपरोक्त अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल

कर दिया जावेगा। अपूर्ण आवेदन–पत्र एवं वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के संलग्न न होने की स्थिति में एवं अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा व इसकी अलग से कोई सूचना आवेदक को संप्रेषित नहीं की जाएगी एवं न ही शुल्क लौटाया जाएगा।

12. <u>साक्षात्कार–</u>

साक्षात्कार हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थीगण की सूची दिनांक 07.03.2018 को रा0रा0वि0से0प्रा0 की अधिकृत विभागीय बेवसाईट www.rlsa.gov.in पर अपलोड की जाएगी एवं इस कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा की जाएगी एवं उक्त अभ्यर्थीगण के साक्षात्कार दिनांक 12.03.2018 को प्रातः 9.00 बजे से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में लिए जायेंगे। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में व उक्त दिवस को साक्षात्कार पूर्ण नहीं होने की स्थिति में शेष अभ्यर्थियों के साक्षात्कार आगामी दिवस/दिवसों को लिए जायेंगे, जिसकी सूचना तत्समय कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जाएगी तथा पृथक् से किसी भी अभ्यर्थी को सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु यात्रा–भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थीगण द्वारा जिन प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां आवेदन के साथ संलग्न की हैं, उनके मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय साथ लेकर उपस्थित होना होगा। भर्ती नियमों में वांछित पात्रता पूर्ण करने पर ही अभ्यर्थी चयन/नियुक्ति का पात्र होगा। चयन सूची में शामिल होने मात्र से ही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्ति का अधिकारी नहीं होगा। पात्रता/चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति–प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम एवं निश्चयात्मक होगा।

नोटः– साक्षात्कार की उपरोक्त तिथि में परिवर्तन होने की स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को पृथक् से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर एवं रा0रा0वि0से0प्रा0 की अधिकृत विभागीय वेबसाईट <u>www.rlsa.gov.in</u> पर अपलोड कर दी जायेगी।

13. <u>आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें</u> :–

1. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर युक्त पासपोर्ट साईज का स्वयं द्वारा सत्यापित नवीनतम रंगीन फोटो।
2. आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट।
3. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां।
4. पहचान–पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान–पत्र/ड्राईविंग लाईसेन्स/पैन कार्ड/या सक्षम अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पहचान दस्तावेज) की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।
5. जन्मतिथि के प्रमाण–पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।
6. आयु सीमा, आरक्षण या अन्य किसी प्रकार का क्लेम करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रमाण–पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।
7. जिस शैक्षणिक संस्थान से नियमित विद्यार्थी के रुप में अंतिम शिक्षा ग्रहण की है, उस विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारुप में प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।

8. दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त मूल चरित्र प्रमाण–पत्र (जो 6 माह से अधिक पुराने न हों)

9. विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति (जिन अभ्यर्थियों का विवाह दिनांक 22.05.2006 या इसके पश्चात् हुआ है) या इस आशय का शपथ–पत्र।

अथवा

दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाहित होने अथवा अविवाहित होने का शपथ–पत्र।

10. इस आशय का शपथ–पत्र कि अभ्यर्थी के दिनांक 01–06–2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक जीवित संतान नहीं हैं व उसके द्वारा अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नहीं किया है।

11. अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी न्यायालय में दाण्डिक प्रकरण लम्बित होने या पूर्व में दोषसिद्ध किया हुआ होने की स्थिति में, उसके सम्पूर्ण विवरण का शपथ पत्र ।

12. नियोजन कार्यालय के पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति (यदि हो तो)।

13. इस आशय का शपथ–पत्र कि "मैं घोषित व सत्यापित करता/करती हूं कि आवेदन में दी गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही हैं व यदि कोई जानकारी/दस्तावेज असत्य एवं मिथ्या पाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मेरा चयन/नियुक्ति किसी भी प्रक्रम पर खारिज की जा सकती है।"

नोट– अभ्यर्थी द्वारा वांछित सभी उपरोक्त तथ्य 10/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक ही शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

14. <u>अयोग्यता का आधार–</u>

जो अभ्यर्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से स्वयं को साक्षात्कार में उत्तीर्ण कराने का कोई अनुचित प्रयास करेगा, उसे अयोग्य माना जायेगा।

15. साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन किये जाने पर उसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी, किसी भी अभ्यर्थी को अलग से इसकी सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी।

30/1/18

सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

क्रमांकः स्था0/2017/ दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
4. श्रीमान् अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत...
5. श्रीमान् निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क निदेशालय, जयपुर।
6. पूर्णकालिक सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
7. श्रीमान् आयुक्त, नियोजन निदेशालय, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/बैंच जयपुर/कार्यालय हाजा।
9. संबंधित पत्रावली।

30.1.18.

संयुक्त सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

लघु विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर

विज्ञप्ति कमांक 45/2018 दिनांक: 30.01.2018

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती–2018

कार्यालय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें), नियम, 1999 (यथा संशोधित) एवं इस निमित राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी विशिष्ट, सुसंगत नियमों के अन्तर्गत इस कार्यालय एवं अन्य कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार रुपये 12,400/– (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्तियों की संख्या				
सामान्य	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**अ.पि.व./अति.पि.व.**	**योग**
14	03	02	05	24

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

आवेदन–पत्र दिनांक 23.02.2018 सांय 5.00 बजे तक इस कार्यालय में व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा प्राप्त हो जाने चाहिए। उपरोक्त अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत विज्ञप्ति एवं अधिक जानकारी हेतु राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अधिकृत विभागीय बेवसाईट www.rlsa.gov.in को देखें।

S/d
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर, राजस्थान

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती–2018

–:आवेदन–पत्र:–

अभ्यर्थी का रंगीन पासपोर्ट साईज स्वयं प्रमाणित हस्ताक्षर युक्त फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम..
2. माता का नाम ....
3. पिता का नाम ....
4. विवाहित / अविवाहित...
5. पति / पत्नी का नाम (अभ्यर्थी के विवाहित होने की दशा में)

   ....
6. लिंग...
7. जाति..
8. राष्ट्रीयता...
9. प्रवर्ग (श्रेणी)...
10. गृह जिला...
11. राज्य ....
12. स्थायी पता...
13. वर्तमान पता (पत्राचार हेतु)...
14. निकटतम पुलिस थाना..
15. शैक्षणिक योग्यता...
16. जन्म तिथि:–

    अंको में...

    शब्दों में...
17. ई–मेल एड्रेस (यदि हो तो)..
18. मोबाईल नम्बर (यदि हो तो)...
19. आधार नम्बर (यदि हो तो)...
20. वर्तमान नियुक्ति (यदि हो तो) का पद, सेवा की अवधि व पदनाम

    ....

    ....
21. नियोजन का पंजीयन क्रमांक व वैधता की अवधि (यदि हो तो)

    ....

    ....

दिनांक.................................

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)